an>

Title: Further discussion on the resolution regarding steps to ensure welfare of Employees Provident Fund pensioners moved by Shri N.K. Premachandran on the 11th December, 2015.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House will take up the Private Members' Resolution on steps to ensure welfare of Employees Provident Fund pensioners. It is an important Resolution moved by Shri N.K. Premachandran.

Shri Nishikant Dubey.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी हमारे सहयोगी द्वारा 11 दिसम्बर, 2015 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। डेढ़ साल से हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि देश और पार्लियामेंट इस पर कितना सीरियस है, हम एमपी लोग गांव, गरीब, किसान, आर्गनाइज्ड सेक्टर और अनआर्गनाइज्ड सेक्टर के लिए कितने चिंतित हैं, लगता है कि जब तक उनको पेंशन मिल नहीं जाएगी, तब तक हम लोग चर्चा करते रहेंगे।

16.11 hours (Shri Anandrao Adsul *in the Chair*)

पहला प्वाइंट है, कर्मचारी भविÂष्य निधि पेंशनभोगियों को सारांशीकरण और पूंजी लौटाने के लिए लाभ बहाल करना। दूसरा, कर्मचारी भविÂष्य निधि पेंशन के लाभार्थी को सेवानिवृत्ति के ठीक पहले के 12 महीने के औसत वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करना, तीसरा, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अनुसार पेंशनभोगियों से सारांशीकृत पेंशन की पूरी राशि की वसूली के बाद पेंशनभोगियों को पूरी पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना, कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अधीन न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये बढ़ाकर प्रति माह करना, लगभग 27,000 करोड़ रुपेय की अधवृकत भविÂष्य निधि राशि का उपयोग करके पेंशनभोगियों के लिए आवास योजना सहित कल्याण योजनाएं लागू करना। विगत अनुभव के आधार पर संपूर्ण कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का संशोधन करना और कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार करना। ये सात प्वाइंट्स हैं, सदन में कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ होगा? लेकिन आज सिच्युएशन क्या है? मैं पिछली बार चर्चा कर चुका हूं और फिर उसी चर्चा को कंटीन्यू कर रहा हूं। पूरी दुनिया में ज्वाइंट फैमिली का कन्सेप्ट नहीं है, धीरे-धीरे ज्वाइंट फैमिली का कन्सेप्ट खत्म हो गया। भारत सभी से अलग इसलिए था कि हम लोग ज्वाइंट फैमिली कन्सेप्ट में थे। एक आदमी कमाता था और सभी खाते थे। जो पुत्र या पुत्री होते थे। वह अपने माँ-बाप का ख्याल रखते थे। माँ-बाप उनको पढ़ाते-लिखाते थे, लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। आज सिच्युएशन ऐसी हो गयी कि पूरी दुनिया में बार-बार हम क्लेम करते हैं कि हमारी यूथ पोपुलेशन बढ़ रही है, हमारी 35 वÂर्ष तक की आयु की पोपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, यह सबसे बड़ी ताकत है। उसी में सबसे बड़ी समस्या आई है। जो यूथ है, यदि बच्चा पैदा हुआ है तो उसे बूढ़ा होना है, उसको 60 साल का होना है। भारत में जिस रफ्तार से यूथ बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से बूढ़ों की भी संख्या बढ़ रही है। जिस तरह का रहन-सहन हो गया है, भारत सरकार की नीतियों के कारण स्टैन्डर्ड ऑफ लाइफ आगे बढ़ रहा है। उस सिच्युएशन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु है। एन.के.प्रेमचन्द्रन जी रिज्योलूशन लाए हैं, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी से हम इसकी चर्चा करें क्योंकि कई देशों ने पहले ही सोचा लिया, मैं उसकी डीटेल में जाऊंगा लेकिन हम अब इसके बारे में सोच रहे हैं।

जब अटल बिहारी वाजेपयी जी की सरकार बनी, वे नेशनल पेंशन स्कीम के तौर पर बहुत बढ़िया प्रोपजल लाए, उसके बाद माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस पेंशन स्कीम को बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से ज्वाइंट फैमिली कन्सेप्ट खत्म हो रहा है, आज उनकी क्या स्थिति है, कई परिवारों के बच्चे लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, कोई सिंगापुर में काम कर रहा है, कोई मलेशिया में काम कर रहा है नहीं तो कोई दिल्ली कमाने के लिए गया है, कोई मुंबई कमाने के लिए गया है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अनअर्गनाइज्ड सेक्टर है, खासकर जो किसान है, जो बिलो पोवर्टी लाईन के लोग हैं उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके माँ-बाप अकेले रहते हैं। माँ-बाप अकेले रहते हैं, यदि यहां से बच्चा पैसा भेजेगा तो वह अपने लिए कुछ सुविधा जुटा पाएगा।

इस देश में 13.5 करोड़ लोग किसानी पर निर्भर हैं। यदि एक फैमिली में पांच आदमी मान लें तो 60 से 65 करोड़ लोग किसान हुए। महोदय, आप तो वित्त मंत्री रहे हैं, आप आठ करोड़ बीपीएल फैमिलीज़ को जोड़ लें और पांच से गुना कर लें, क्योंकि एक फैमिली में पांच आदमी जोड़ते हैं तो 40 करोड़ लोग उसके अंतर्गत आते हैं। इस तरह से 65 करोड़ किसान और 40 करोड़ बीपीएल फैमिली के मान लें तो लगभग 105 करोड़ लोग होंगे। यदि इसमें सरकारी कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम में मान लें तो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में परिवार कैसे चलेगा, यह महत्वपूर्ण है। आज सिचुएशन हो गई है कि कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुम्बई में है, उसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इस समय प्रेमचन्द्रन जी जो बिल लेकर आए हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि आज बूढ़े बुजुर्गों की हालत कैसी हो गई है। गांव में मेम्बर आफ पार्लियामेंट के तौर पर हम जाते हैं और देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें वृद्धावस्था पेंशन दे दीजिए, विधवा पेंशन दे दीजिए, केवल पेंशन स्कीम की बात कहते हैं। बूढ़े बुजुर्ग लोगों के पास हास्पिटलाइजेशन के लिए पैसा नहीं है। वे 200, 400, 500 रुपए के लिए चिंता करते हैं।

मैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविता क्योट करना चाहता हूं कि बुजुर्गों की स्थिति फाइनली ऐसी क्यों बना दी गई है और किसलिए पेंशन स्कीम की आवश्यकता है। उनकी 'भिक्षुक' बड़ी अच्छी कविता है -

वह आता-

दो टूक कलेजे के करता पछताता,

पथ पर आता।

पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक,

चल रहा लकुटिया टेक,

मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को

मुँह फटी पुरानी झोली फैलाता,

दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता।

यही स्थिति होती है, जब मेम्बर आफ पार्लियामेंट के तौर पर हम अपनी कांस्टीटुएंसी में जाते हैं। यहां थावर चंद गहलोत साहब बैठे हैं, इनका मंत्रालय बहुत काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की तरफ सरकार कैसे जा रही है और इसमें किस तरह की आवश्यकता है। हम यूनिवर्सल स्कीम की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में सबसे पहला काम 9 मई, 2015 को किया, अटल पेंशन योजना शुरु की। यह योजना पेंशन सैक्टर को मजबूत करती है। हम दूसरी योजना लेकर आए। अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार ने आगे बढ़ाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय अटल जी के बाद हम किस तरह से आगे आए। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010 से चालू है। जननी सुरक्षा योजना मदर केयर के लिए वन टाइम है। मेरे कहने का मतलब है हम पेंशन की तरफ जा रहे हैं। नेशनल पेंशन स्कीम जनवरी 2004 में आई। दस साल तक कांग्रेस की सरकार रही। मैं इसकी डीटेल में जाना चाहता।

सभापति जी, आप स्वयं वित्त मंत्री थे जब माननीय अटल जी की सरकार थी। आप लोगों के कारण नेशनल पेंशन स्कीम आई। 2002-03 में यह बिल लागू हुआ और जनवरी 2004 में अटल जी ने

जोत-जोत एग्जीक्यूटिव आर्डर से इसे नोटिफाई कर दिया। 2012 तक आठ साल तक यह कानून का मुंह तक नहीं देख पाया। यह सरकार गांव, गरीब और किसान की बात कहती थी, लेकिन 2012 तक इसका चेहरा नहीं देख पाए। यहां माननीय गुरुदास गुप्त साहब थे। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब कोंग्रेस ने यह बिल इंट्रोड्यूज किया था। जैसे प्रेमचन्द्रन जी बराबर करते रहते हैं, जैसे ही कोई सरकार का बिल इंट्रोड्यूज होने लगता है तो रिजाल्यूशन लेकर आते हैं कि यह बिल यहां कैसे नहीं इंट्रोड्यूस होना चाहिए। उसी तरह गुरुदास गुप्त जी 15वीं लोक सभा में एंट्री के समय, बिल इंट्रोड्यूस करने के समय करते थे। आज भी देखिए कांग्रेस का बेंच खाली है। उस वक्त कांग्रेस के बेंच पर मात्र दस आदमी थे। संयोग से अभिजीत मुखर्जी साहब यहां बैठे हुए हैं, उनके पिताजी ने ही यह बिल इंट्रोड्यूस किया था। वे उस वक्त माननीय वित्त मंत्री थे और आज माननीय राÂट्रपति महोदय हैं। â€¦ *

सभापति महोदय, मैं उस समय 545 नम्बर की सीट पर बैठता था। मेरा नम्बर 545 था, यानी अंतिम सीट थी। मैं अभी अंतिम सीट से 40 नम्बर की सीट पर आ गया हूं। उस समय माननीय सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन थीं। मैं दौड़ा हुआ उनके पास आया और कहा कि क्या करना है? उस समय हमारी बेंचेज पर 60-70 मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के थे। मुझे माननीय सुषमा स्वराज जी ने कहा कि दादा को जाकर बोल दो कि हम इस बिल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यह हमारा बिल है और आठ साल से नहीं आया है। उसके बाद वोटिंग हुई और इतिहास गवाह है कि हमने उस बिल का समर्थन किया, जिसके कारण यह बिल पास हो पाया। यदि कांग्रेस सीरियस होती, तो वह उस बिल को पास करा लेती।

सभापति महोदय, मेरा कहना है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति से अलग हटकर कभी नहीं सोचा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओल्ड एज पर पूरी दुनिया की क्या हालत है? सबसे पहले सोचने का सवाल है कि आज जिसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, उस पर पूरी दुनिया की क्या हालत है? हमारी जनसंख्या 125 करोड़ हो गयी है, तो कभी 130 करोड़ या 135 करोड़ हो जायेगी। यदि हम वर्ष 2016 का डाटा देखें, क्योंकि वर्ष 2017 का डाटा नहीं आया है, तो इंडिया में ओल्ड एज पापुलेशन 8.9 परसेंट है। वर्ष 2030 तक यह माना जाता है कि यह डाटा 12.3 परसेंट हो जायेगा और वÂार्न 2050 तक 18.3 परसेंट हो जायेगा। हमें लगता है कि वर्ष 2050 तक इस देश की पापुलेशन लगभग 150 करोड़ से ऊपर हो जायेगी। यदि उसका 20 परसेंट मानें, तो 30 से 35 करोड़ लोग ओल्ड एज के होंगे। आप यह समझिए कि वर्किंग क्लास के एज की पापुलेशन है, यदि पूरी दुनिया को उसके डाटा के आधार पर देखें, तो आज 13.9 परसेंट ओल्ड ऐज के लोग भारत में काम कर रहे हैं। वर्ष 2030 तक यह माना जाता है कि शायद वे 19 परसेंट काम कर सकते हैं। उसके बाद वे 29 परसेंट काम करेंगे, लेकिन यदि वे काम करेंगे, तो हम उनके लिए रोजगार के कौन से साधन क्रिएट करेंगे? हम किस तरह की सुविधा क्रिएट करना चाहते हैं, किस तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं?

सभापति महोदय, आप यदि चाइना को लें, तो चाइना ही एक ऐसा देश है, जो हमसे मुकाबला कर रहा है। आज उनकी ओल्ड एज की टोटल पापुलेशन 14.9 परसेंट है और बाद में वह 32.8 परसेंट हो जायेगी। अब आपको यूएसए, जापान, जर्मनी आदि सब हमसे आगे नजर आयेंगे। आज पूरे यूरोप और दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह चल रही है कि हमें अचानक यूथ की आवश्यकता पड़ रही है। सब देशों ने, चाहे वह यूएसए, यूके, जर्मनी, ब्राजील या जापान हो, उन लोगों ने अपने देश में ओल्ड लोगों के लिए पेंशन स्कीम, यूनीवर्सल सोशल सिक्योरिटी के लिए बड़ा काम किया है। लेकिन आज तक भारत सरकार ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है।

सभापति महोदय, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि वर्ष 2050 तक 20 परसेंट लोग ओल्ड एज के हो जायेंगे। लगभग 30 या 35-40 करोड़ लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था होनी है, किस तरह से पेंशन देनी है, किस तरह से उन्हें जीवन जीने के लिए चीजें चाहिए, इस बारे में वर्ष 1980 में पूरी दुनिया में यह सोच डेवलप हो गयी। अभी थावर चंद गेहलोत जी बोल रहे थे, तो मैं देख रहा था कि कांग्रेस के मित्र लगातार कह रहे थे कि आपने क्या किया? चूंकि यह ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है और हम अपने आपको पूरी दुनिया से अलग नहीं देख सकते। वर्ष 1980 में इंटरनैशनल लेबर आर्गनाइजेशन ने पूरी दुनिया में यह कहना स्टार्ट किया कि आप केवल युवाओं, पढ़े-लिखे लोगों की बात न करके ओल्ड एज लोगों के लिए भी बात करें। आप उनके लिए क्या स्कीम लेकर आये हैं, उसकी बात कीजिए। यही कारण है कि पूरा वेस्टर्न यूरोप, जापान और स्पेशली यूएसए ने वर्ष 1980 से अपने डेमोग्राफिक प्रोफाइल के चेंज होने के कारण पूरे कानून को चेंज करना स्टार्ट किया। हमारे यहां जब ओल्ड एज्ड लोग होंगे तो क्या होगा। यही कारण है कि जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। इकोनोमिस्ट का एक आर्टिकल जापान के बारे में लिखा गया :

> "A dwindling band of workers will have to support rising social-security payments, as the number of retired people grows. This will strain public finances. Ten years ago each person in retirement was supported by four in work. In ten years that burden will fall on only two workers. Already, the rising cost of caring for the elderly has pushed up the government deficit and the national debt. If Japan's workers cannot shoulder their burden, the country will find itself unable to honour fully its pension and health-care commitments. In effect, it will be forced to default on its obligations to society."

जब यह आर्टिकल आया तो जापान आज की डेट में इसका सबसे उदाहरण बना कि किस तरह से उसने अपने आपको वहां की डेमोग्राफी के आधार पर डेवलप करने का प्रयास किया। मैंने पहले ही कहा, हमने किस तरह से अपने को दुनिया से अलग-थलग कर लिया। वर्ष 1980 से 1989 तक लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, इन नौ वÂार्ों में उसके कान पर कोई जूं नहीं रेंगी। अभी हम यूएस और यूरोप की बात कर रहे थे, एशियन कंट्रीज में केवल जापान की बात कर रहे थे। इसके साथ ही एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई - Aging Asia's looming pension crisis.

> "A young continent reaping the demographic dividend of a large youthful workforce is giving way to a greying continent where the ratio of retirees to workers is on the rise. In contrast to industrialized countries, most Asian countries do not yet have mature, well-functioning pension systems."

It includes India. इंडियन लेबर आर्गनाइजेशन की रिपोर्ट हो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, आईएमएफ की रिपोर्ट हो, सभी हमें लगातार एलार्म करते रहे कि आप जग जाएं, भारत सरकार जग जाए, लेकिन भारत सरकार नहीं जगी। भारत सरकार वर्ष 1999 में जगी। मैं बताऊंगा कि इसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का किस प्रकार कंट्रीब्यूशन रहा। हमारी सरकार ने दीनदयाल पेंशन योजना, अटल ज्योति योजना और नेशनल पेंशन स्कीम ही लागू नहीं की है, अभी देखिए कि कैसे सुनने की मशीन मिलेगी, कैसे आंखों में चश्मा लगेगा, कैसे दांत बनाकर देने होंगे, कैसे छड़ी और बैसाखी देनी पड़ेगी, कैसे व्हीलचेयर देनी पड़ेगी। इन सभी चीजों के बारे में थावरचंद गहलोत जी के मंत्रालय ने अभी एनाउंस किया है। ये सभी काम हम लोगों ने बूढ़े लोगों के लिए किए हैं।

सभी संसद सदस्यों से मेरा आग्रह होगा कि ये सभी चीजें मुफ्त दी जा रही हैं, इस सुविधा का लाभ उठाइए। गहलोत साहब से कहिए कि आप हमारे यहां मेला लगवाइए, जिससे हम लोगों को फ्री में ये सभी बुढ़ापे के सहारे लोगों को दे पाएं। हमारी सरकार पार्टीजन एंगल से ऊपर उठकर काम करना चाहती है। वह यह नहीं देखती है कि वहां कांग्रेस का एमपी है, वहां सीपीएम का एमपी है या तृणमूल कांग्रेस का एमपी है। इसके लिए एक टास्क फोर्स बनी। जब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक आदि सभी लोग कहने लगे कि भारत ओल्ड एज के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, तब एक टास्क फोर्स बनी। उस टास्क फोर्स ने कहा कि वर्ष 2005 में इंडिया का डिपेंडेंसी रेशियो 0.6 प्रतिशत है और अगले बीस-तीस वÂार्ों में डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो जाएगा। टास्क फोर्स ने यह भी कहा कि इसके लिए जो कारण जिम्मेदार हैं, उनमें से एक कारण बर्थ रेट भी है। बर्थ रेट के बारे में आपकी सरकार ने भी काम किया। बुढ़ापा क्यों बढ़ रहा है और उसके लिए पेंशन की आवश्यकता क्यों है? पहले जिस तरह से बर्थ रेट थी, आपको पता है कि बर्थ रेट में पहले इनफेन्ट मृत्यु दर हमारे यहां बहुत ज्यादा थी। उसको कहीं न कहीं भारत सरकार ने रोका है। इसमें राज्य सरकार का एक विषय जो हेल्थ है, वह राज्य सरकार का भी एक विषय है और केन्द्र का भी एक विषय है। राज्य और केन्द्र दोनों ने मिलकर फॉलिंग बर्थ रेट को किया है। इसके बाद जो डेथ रेट है, मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें जनसंख्या कंट्रोल के लिए भी हमने काम किया और जो डेथ रेट को रोकने के लिए भी हमने काम किया। यही कारण है कि जो यंग पोपुलेशन बढ़ रही है, उसमें भारत सरकार के मेजर्स हैं। इसीलिए Proportion of those aged 60 and above is expected to climb from 4.6 per cent in 2000 to 9 per cent in 2030.

वर्ल्ड पोपुलेशन की जो एजिंग यूनाईटेड नेशन की रिपोर्ट है, वह यह कह रही है कि यदि आपका प्रोपर फंक्शन नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे और आप इसमें जो एक ओएसिस की रिपोर्ट है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कहती है: A publicly managed system with mandatory participation and the limited goal of reducing poverty among the old age pension is needed. यह ओएसिस की रिपोर्ट कह रही है, जिसके आधार पर भारत सरकार ने अपने काम को आगे बढ़ाया है। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चार प्वाइंट हैं, उन पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। उसमें Increasing share of organised sector employment from around 7 per cent of total employment today to nearly 40-50 per cent by 2030.

अभी माननीय नेरन्द्र मोदी जी के डीमौनेटाइजेशन पर बड़ा हू एंड क्राइ हुआ। कल भी आप देख रहे थे कि डिसकशन चल रहा था। कांग्रेस के हमारे मित्र ऐसा सोचते हैं कि हम तो इन चीजों को बहुत सपोर्ट करते हैं लेकिन बताकर करना चाहिए था। बताकर क्यों करना चाहिए था? वह अलग बात है, हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि यदि इस देश में कोई रोजगार देता है तो सबसे ज्यादा मीडियम एंड स्मॉल स्केल सेक्टर देता है। यदि लेबर कहीं लगी हुई है, क्योंकि भारत सरकार के पास इतनी नौकरियां और इंडस्ट्रीज नहीं हैं और कहीं न कहीं चाइना के प्रभाव के कारण कई इंडस्ट्रीज क्राइसिस में हैं। यह तथ्य हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है चाहे गॉरमेंट सेक्टर क्राइसिस में है, जिसको भारत सरकार मदद करने का प्रयास कर रही है। आप देखेंगे कि पूरी खिलौना इंडस्ट्री लगभग बंद होने के कगार पर है। आज चाइनीज खिलौने बहुत आ गये हैं। उसी तरह से यदि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करेंगे, जिस तरह से मोबाइल की बात करेंगे, उसी तरह से नोकिया ने अभी अपना प्लांट शुरू किया है। सैमसन और एल.जी. कंपनियां वगैरह आ रही हैं, लेकिन आज भी ऐसा है कि लोगों को यदि सस्ते दर पर मोबाइल की आवश्यकता है तो उनको उन पर निर्भर करना है, जैसे किसी को रेडियो खरीदना है, किसी को गीजर खरीदना है या मिक्सी खरीदनी है तो आज भी सिचुएशन ऐसी ही है। इस कारण से जो रोजगार है, जैसे रियलिटी सेक्टर में है, यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि रियलिटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले 8-10 साल में, जिसे कांग्रेस के कारण बहुत नुकसान हो गया।

मान लीजिए कि एक मकान बनता है तो एक मकान में 175 तरह की इंडस्ट्रीज खप जाती हैं। 175 तरह में जैसे किसी को राज मिस्त्री का काम करना है, किसी को कारपेंटर का काम करना है, कोई इलेक्ट्रीकल फिटिंग का काम करता है तो इलैक्ट्रिक वॉयर की भी आवश्यकता होती है, ए.सी. लगाना है, कुर्सी वगैरह लानी है। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि टोटल तरह के जो असंगठित रोजगार हैं, वे 175 तरह के हैं। सबसे ज्यादा रोजगार इस देश में असंगठित सेक्टर देता है, लेकिन जो सिचुएशन है, उसको रशियो जितना होना चाहिए, वह 7 या 10 प्रतिशत है।

माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि सरकार क्या क्या काम कर रही है, लेकिन यदि इसे 40-50 प्रतिशत तक ले जाना है, लोगों के जीवन स्तर को यदि बढ़ाना है, यदि उनको पेंशन स्कीम की तरफ ले जाना है तो आज क्या होता है, जैसे हमारे यहां ही डोमेस्टिक लेबर काम करती है, यहां जितने लोग मौजूद हैं, वे सब जानते हैं कि डोमेस्टिक लेबर को कितना पेमेंट होता है। किसी का एकाउंट नहीं है। यदि एकाउंट है तो किसी को चेक पेमेंट नहीं है। किसी को 4000 रुपये, किसी को 5000 रुपये या किसी को 2000 रुपये पर रोजगार मिलता है, जैसे होटल इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, जैसे ढाबे में लोग काम करते हैं। ट्रक-ड्राइवर का काम करते हैं, क्लीनर का काम करते हैं। उसी तरह से रियलिटी सेक्टर लेबर सप्लाई करने का काम करते हैं, वे यह काम करते हैं कि मान लीजिए उन्होंने दिखा दिया कि दस लेबर को हम चेक पेमेंट करते हैं, ऐसा उन्होंने दिखा दिया और मैक्सिमम लोगों को वे दिखाते हैं कि ऐसे ही हम कम पेमेंट करते हैं। चूंकि लोगों को काम करना होता है, इसलिए वे उनकी मनमानी के सामने बोलते नहीं हैं और कम पैसा लेते हैं, जबकि रजिस्टर पर ज्यादा पैसे दिखाए जाते हैं।

नोटबंदी हुई और डिजिटल पेमेंट की तरफ हम बढ़े। यदि किसी के पास दस से ज्यादा लेबर काम कर रही है, तो उन्हें चेक से पेमेंट करनी पड़ेगी। यदि चेक से पेमेंट होगी, तो स्वाभाविक है कि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस कटेगी, उनकी पेंशन कटेगी। जितना पैसा कर्मचारी का कटेगा, उतना ही पैसा रोजगार देने वाली कम्पनी का भी कटेगा। प्रेमचन्द्रन जी, आप इस बिल को लाए हैं, आप देखिए कि प्रधान मंत्री जी कितना आगे की सोच रहे हैं। नोटबंदी से ब्लैक मनी तो खत्म हो ही रही है, नक्सलवाद, आतंकवाद भी इससे समाप्त होगा। अधीर रंजन जी, आप भी बार्डर एरिया से आते हैं। आप बताएं कि झारखंड में नक्सलवादी गतिविधियां कम हुई हैं या नहीं। आप इस बात को मानना चाहते हैं तो मानिए। अगर नहीं मानना चाहते हैं, तो मत मानिए, लेकिन यह बात सही है कि इन गतिविधियों में बहुत कमी आई है। अभिजित बाबू भी साथ के क्षेत्र से हैं, आपको भी पता होगा। ब्लैक मनी टॉरगेट हो सकता है, नक्सलवाद टॉरगेट हो सकता है, लेकिन सरकार की नीतियों का प्रभाव पूरे देश पर अच्छा ही पड़ेगा। साहू जी, शायद छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हो, मैं झारखंड के जिस एरिया से आता हूं, मैं अपने एरिया के बारे में बता सकता हूं। जैसे वी.डी. राम साहब हैं, वे स्वयं डीजीपी रहे हैं और नक्सलाइट को हराकर आए हैं। इससे पहले जेल में रहकर भी कोई सांसद बन गया था।

मेरा कहना है कि जब लेबर की पेमेंट डिजिटल होगी, उसकी पेंशन का पैसा कटेगा, तो निश्चित तौर पर हम यूनीवर्सल पेंशन स्कीम की तरफ बढ़ेंगे और भारत सरकार का यही टॉरगेट है। आप जो बिल लाए हैं, उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिसके लिए भारत सरकार की चिंता बढ़ी है। यह भी देखने की बात है कि इनफ्लेशन को कम किया जाए, ताकि लोग सेविंग्स की तरफ आकर्षित हों। यह देखने की बात है कि लोग पैसा क्यों जमा नहीं कर पाते हैं। कोई भी पेंशन स्कीम हो, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में काम करें या प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हों या अपना रोजगार कर रहे हों, चाहे आप सप्लाई का काम कर रहे हों या लेबर का काम कर रहे हों, सबसे बड़ी समस्या होती है कि घर चलाने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता है, उतना पैसा तो रखना ही पड़ता है। आज भी ज्वायंट फेमली का कॉन्सेप्ट है। माँ-बाप होने के नाते हमारा टॉरगेट होता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। उन्हें अच्छे से दाल रोटी मिले। हम अपने माँ-बाप की सेवा करें, लेकिन यह भी सोचते हैं कि साठ साल की उम्र तक, जब तक कि हमारा शरीर कमजोर न हो, तब तक हमारे पास इतना पैसा हो कि हम मकान ले लें, हमारे पास गाड़ी हो और हम अच्छा खाना-पीना कर सकें।

जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इनफ्लेशन का रेट दस-ग्यारह प्रतिशत था। उस स्थिति में कभी प्याज का दाम बढ़ रहा था, कभी आलू का दाम बढ़ रहा था, कभी दालों का दाम बढ़ रहा था। अधीर जी, जब आप मंत्री थे, तो आप देखते होंगे कि प्रत्येक सेशन में भारतीय जनता पार्टी को प्राइज राइज के ऊपर कुछ न कुछ रेजोल्यूशन लाना पड़ता था, कभी 193 की चर्चा या कभी शार्ट ड्यूरेशन डिस्कशन करनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं होता है। इनफ्लेशन कम करने के लिए नेशनल पेंशन स्कीम को लागू करने की या यूनीवर्सल पेंशन स्कीम लाने की जरूरत पड़ी। इससे लोगों के पास पैसा बचेगा। पहले कोई चिट फंड कम्पनी पैसा लेती थी और कहती थी कि हम आपका पैसा पांच साल में दोगुना कर देंगे। हमने यह काम किया कि जन-धन एकाउंट के तौर पर गरीब से लेकर अमीर तक देश में कोई ऐसा परिवार नहीं है, जिसका हमने एकाउंट नहीं खोला हो। बैंक एकाउंट खुलने से लोग सेविंग्स की तरफ बढ़ेंगे। जब उनकी सेविंग्स होगी, तब वह इनवेस्टमेंट की तरफ जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम में जाने के लिए इनफ्लेशन कंट्रोल करने की आवश्यकता थी और दूसरी यह आवश्यकता थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करें और लोग चिट फंड कम्पनी के चक्कर में न पड़ें और पैसा दोगुना करने के चक्कर में न पड़ें। इस वजह से भारत सरकार ने यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। जब डिजिटल इकोनोमी की तरफ हम बढ़ेंगे, सेविंग्स की तरफ हम बढ़ेंगे, तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि हमारा जो सपना है कि एक-एक आदमी को साठ साल की उम्र के बाद सोशल सिक्योरिटी का पैसा मिलता रहे, उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।

आप जो बिल लेकर आये हैं, भारत सरकार उसमें कितनी मदद कर सकती है, मैं कहता हूं कि भारत सरकार और राज्य सरकारों का बजट कितना है, लगभग 125-130 करोड़ लोग हैं, यदि सभी राज्यों के बजट को मिला लें, तो इतना पैसा नहीं होता है। ऊंट के मुंह में जीरा के तौर पर हम लोग कहते हैं कि तुम्हें वृद्धावस्था पेंशन लेना है, दो सौ रुपये ले लो। दो सौ रुपये भारत सरकार देती है और दो सौ रुपये राज्य सरकार देती है। विधवा पेंशन में भी वही काम होता है। जब आप इस तरह से करेंगे, तो परिवार नहीं चलेगा। एक परिवार को चलाने के लिए कम से कम आठ-दस हजार रुपये चाहिए। यदि सिर्फ अपनी जिन्दगी जीना है, तो आठ-दस हजार रुपये इसमें होना चाहिए।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) का जो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, वह उसी की तरफ बढ़ रहा है और जब तक भारत सरकार यह काम नहीं करेगी, तब तक हम इन प्रावधानों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे।

इसके बाद है target policy towards increasing investor awareness. इसके लिए शायद प्रेमचन्द्रन जी थोड़ा डिसएग्री करेंगे। लेकिन यह पूरी दुनिया मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। वह बात समाप्त हो गयी कि बैंक में पैसे जमा कीजिए और बैंक आपको इंट्रेस्ट देगा। मान लीजिए कि इस देश में आपको इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, माननीय सभापति महोदय मैं इसके बाद आपकी ही तरफ आऊँगा, जब आप वित्त मंत्री थे, तो उस समय वर्ष 2004 में जब हमारी सरकार जा रही थी और उसने इस इकोनॉमी को जहाँ छोड़ा था, तत्कालीन वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम साहब ने इसी सदन में उस वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया था, तो उसने कहा कि भारत सरकार ने यानी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक रोबस्ट इकोनॉमी छोड़ी है। उस वक्त जीडीपी ग्रोथ लगभग 8.1 पर्सेंट था। आठ पर्सेंट पर हमारी सरकार इकोनॉमी को छोड़कर गयी और जब इनकी सरकार इस देश की इकोनॉमी छोड़कर गयी तो उस समय जीडीपी ग्रोथ 4.5 पर्सेंट के आसपास था। कल भी चर्चा के दौरान जीडीपी ग्रोथ की बात हुई। आखिर इसका क्या कारण था?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Shri Nishikant Dubey ji, I thank you for yielding.

I thank him for supporting this Resolution. You may kindly see that we have started the discussion on this Resolution from December, 2015. It is a very important Resolution as far as lakhs of workers are concerned. Hon. Chairman is also well aware of what is happening on the trade union front. Today also lakhs of people are watching Lok Sabha Television Channel to know as to what would be the fate of this Resolution.

I would like to appreciate the Government's efforts. During the course of the discussion on this Resolution, two years of annual weightage has been

given by the Government. We are thankful for the Government for having given the benefit of two years of weightage. Yesterday and the day before, so many news items have come in the newspapers regarding another very important issue which is also a part and parcel of this Resolution. That is those who could not opt for the pension in the actual salary and those who have gone to the court will be getting the benefit. Every individual who is going to the court will be getting the benefit that you can pay the arrears. After paying the arrears, you are entitled for full pension in proportion to the salary.

So many court verdicts have come. From Kerala also, so many writ petitions have been filed. ...(*Interruptions*) The country wants to know as to what is the decision of the Government regarding this point. The Supreme Court has directed the Government to see that instead of going for individual cases, let a general order come. I hope and believe that the day before yesterday such an order has already been issued by the Government of India. I am thankful to the Government for it.

I would like to seek a clarification. If the hon. Minister could intervene and clarify my doubt with the permission of Shri Nishikant Dubey and if it comes to the public domain, definitely it will be well and good. To my knowledge, today the PF office is issuing an order because it is affecting lakhs of workers. That will be beneficial to the workers. If you could kindly throw light on this issue, it would be well and good. If the hon. Minister could intervene, I would be thankful to him.

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : The Minister would clarify at the end of the debate.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am only seeking a clarification.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Hon. senior Member, Shri Premachandran has raised this issue. The Government is also well aware of it. Regarding the pension, those who remitted the contribution to EPF, on full salary, above statutory ceiling, now they would get pension, even if they did not give the option before 2006.

Today itself, we would issue the order. All the EPF pensioners can avail the benefits.

श्री निशिकान्त दुबे : महोदय, श्री प्रेमचन्द्रन की समस्या यह है कि वे जिस तरफ बैठते हैं, उस तरफ अंगुली नहीं उठाते हैं। मैं उनके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस पार्लियामेन्ट में मेरा बिल इसी पेंशन पर डिस्कस हो चुका है। ये तीन हजार की बात कर रहे हैं। मेरा बिल पाँच हजार रुपये के लिए था। माननीय मोदी जी के प्रति पूरे देश को धन्यवाद देना चाहिए कि जिस आदमी को पहले 20, 25 या 50 रुपये तक पेंशन मिलती थी, उसे उन्होंने कम से कम 1 हजार रुपये कर दिया है। भारत सरकार को ओ.आर.ओ.पी. के लिए प्रत्येक साल 8-10 हजार करोड़ रुपया देना पड़ रहा है। माननीय मोदी जी ने पेंशन के लिए जो फार रीचिंग और बड़ा काम किया है, उसके लिए धन्यवाद देने के बजाए प्रेमचन्द्रन साहब मंत्री जी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप यह समझिए कि इसकी शुरूआत कहाँ से हुई है। हम टॉरगेट प्वाइंट पर दूसरी जगह जाएंगे।

महोदय, मैं इसी सदन में आपको फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी के 28 फरवरी, 2001 के भाषण के बारे में बताता हूँ। उस समय प्रहलाद सिंह पटेल साहब मंत्री थे और आप भी मंत्री थे। उन्होंने कहा था :- 'The Central Government pension liability has reached unsustainable proportion. As a percentage of GDP, it has risen – you were the Minister, Hon. Chairperson – from about 0.5 per cent in 1993-94 to one per cent in 2000-2001. As such, it envisages that those who enter Central Government services after October 1, 2001 would receive pension through a new pension programme based on defined contribution in order to review the existing pension system and to provide a roadmap for the next step to be taken by the Central Government. I propose to constitute a high level expert committee which would gives its recommendations within three months.' वहाँ से इसकी शुरूआत हुई थी। उससे पहले किसी ने कुछ सोचा ही नहीं था। मैंने आपको बताया कि 1980-81 से एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, यू.एस.ए., यू.के., यूरोप, जापान और सिंगापुर सभी देश अपने ऑर्गनाइज्ड और अनऑर्गनाइज्ड सैक्टर के नागरिकों के बारे में सोचते हैं। वे अपने यहाँ की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी सोचते हैं, किंतु हमारे यहाँ ऐसी कोई सोच ही नहीं है। माननीय वाजपेयी जी की सरकार में बहुत बड़ा काम हुआ था। मैं श्री जसवंत सिंह जी द्वारा दी गई 28 फरवरी, 2003 की स्पीच के बारे में बता रहा हूँ and he said:

> "My predecessors in office in 2001 announced a roadmap for a restructured pension scheme for the new Central Government employees and a scheme for the general public. This scheme is now ready. It will apply only to new entrants to Government services except to the Armed Forces and upon finalization, offer a basket of pension choices. It will also be available on a voluntary basis to all employers for their employees as well as to the self-employed. This new pension system when introduced will be based on defined contribution shared equally in the case of Government employees between the Government and the employees.
>
> There will, of course, be no contribution from the Government in respect of individuals who are not Government employees. The new pension scheme will be portable, allowing transfer of the benefits in case of change of employment, and will go into 'individual pension accounts' with Pension Funds. The Ministry of Finance will oversee and supervise the Pension Funds through a new and independent Pension Fund Regulatory and Development Authority."

किसने सोचा, किसने इन सब चीजों को किया? हमारी सरकार ने इतना कुछ किया। मैंने अभी बताया कि हमने ओआरओपी में क्या किया, मिनीमम पेंशन के लिए क्या किया।

'Target/policy towards increasing investor awareness.' इंश्योरेंस को अब प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है। इससे पहले लोग एलआईसी की पॉलिसी लेते थे और उनके हिसाब से आपको चलना पड़ता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट लोगों के लिए खोला गया। पहले एलआईसी का इंश्योरेंस सेक्टर पर सौ प्रतिशत कंट्रोल था, अब वह 70 परसेंट पर आ गया है। 30 परसेंट इंश्योरेंस का काम प्राइवेट कम्पनियां कर रही हैं। वह अपने प्रोडक्ट को बेच रही हैं, जिससे जनता को फायदा हो रहा है। कोई अगर एक लाख रुपये की पॉलिसी लेता है तो उसको 20, 25 या 30 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। इसी तरह से पेंशन फण्ड में पैसा डालने वालों को जब तक हम खुली छूट नहीं देंगे, जिस पर भारत सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है, जिसमें उसने पेंशन फण्ड का कुछ प्रतिशत निर्धारित कर दिया है जो गवर्नमेंट सिक्योरीटीज़, प्राइवेट में और शेयर मार्किट में जाएगा। जयंत सिन्हा साहब यहां बैठे हैं, उन्हीं के समय में एक विधेयक इंश्योरेंस के लिए लाया गया था। पेंशन को इंश्योरेंस के साथ जोड़ा गया है। हमारी सरकार ने यह किया है कि जो चीजें इंश्योरेंस में लागू होंगी, वही पेंशन में भी लागू होंगी, चाहे एफडीआई हो या कुछ और हो। इसके लिए बड़े सैटअप की आवश्यकता है। इसमें पार्लियामेंट के रोल को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि तभी हम देश को बताने में सक्षम हो पाएंगे। जब तक पब्लिक का किसी पॉलिसी में

कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तब तक ये चीज नहीं हो पाएंगी और इसके लिए जगह-जगह कैम्प लगाने की आवश्यकता है। पेंशन की आवश्यकता, पेंशन फण्ड की आवश्यकता के लिए अवेयरनेस जब तक नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है और उसके बाद ही यह लागू होगा।

'Developing adequate administrative infrastructure and effective distribution network.' कांग्रेस कहती है कि वह वेज बिल और मनरेगा को लेकर आए हैं। वह बहुत खुश होते हैं कि मनरेगा से लोगों को रोजगार मिल रहा है। संयोग से खड़गे साहब आ गए हैं। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वह मुझे डांटना शुरू कर देंगे। संसद सदस्य दिशा कमेटी के चेयरमैन और सदस्य हैं। क्या उसमें करप्शन नहीं है? मनरेगा में इतना करप्शन क्यों है, क्योंकि मिट्टी का काम है। अब एक पंचायत में कितना काम मिट्टी का हो सकता है? एक कहानी है, जिसमें राजा को लोगों को रोजगार देना था तो एक दीवार बनवाता था और उस दीवार को तुरन्त तोड़ देता था ताकि लेबर का काम चलता रहे। पूरा देश इस समय डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। गांवों में ऑप्टिकल फाइबर के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। पंचायत लेवल तक अवेयरनेस पहुंचाने की आवश्यकता है। अवेयरनेस में उनको बताने की आवश्यकता है कि हम आप का काम करेंगे, आप इतना पैसा दें और उस हिसाब से भविÂय में, 60 साल के बाद आपको अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर निर्भर न होना पड़े। सर, यू.के. में एक बड़ी अच्छी बात चल रही है कि 60 साल के बाद लोगों के लिए एक पेंशन की स्कीम चल रही है। चूंकि मुझे प्रत्येक वर्ष जाने का मौका मिलता है तो मैंने देखा कि हालफिलहाल 8-10 सालों में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है कि कई बच्चे अपने मां-बाप के साथ रहते हैं। मैंने पूछा कि इसका क्या कारण है, क्या आप आज से 8-10 साल पहले अपने माँ-बाप के साथ नहीं रहते थे, अब साथ रह रहे हैं? इसका कारण यह है कि जो युवा वर्ग है, वह बेरोजगार हो रहा है। वहां युवा बेरोजगार हो रहा है और सोशल सिक्योरिटी के तौर पर घर के बड़े-बुजुर्ग, माँ-बाप को पेंशन मिल रही है। वे लोग पेंशन के सहारे अपने जीवनयापन के लिए, अपनी बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए फिर से ज्वाइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, और अपने माँ-बाप के साथ रह रहे हैं। इस तरह हम यदि उनको एक जिन्दगी देना चाहते हैं तो यह एक रास्ता है।

अंत में मैं यह कहूंगा कि जो टैक्सेशन है, कल टैक्सेशन पर बड़ी लम्बी-चौड़ी बातचीत हो गई कि डायरेक्ट टैक्स का क्या परसेंटेज है, इनडायरेक्ट टैक्स का क्या परसेंटेज है। भारत में डायरेक्ट टैक्स और कम होना चाहिए, खासकर पेंशन स्कीम में भारत सरकार को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। यदि डायरेक्ट टैक्स कम नहीं होगा तो हम ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे तो फिर जो हमारा टॉरगेट है कि कोई भी व्यक्ति 60 साल के बाद भूखा, नंगा न सोए, आराम से जिन्दगी जिए, उसके लिए भारत सरकार को टैक्सेशन पॉलिसी में एक बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट में हम क्या कर सकते हैं।

सभापति महोदय, लगता है कि बहुत लोगों को अभी बात करनी है, डिसकस करना है। मैं केवल अंत में इतना ही कहूंगा :

"हाथों की लकीरों पर न जा गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते"

जो बूढ़े हैं, उनको भी जिन्दगी जीने का अधिकार है। उनके लिए भी भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, I am to inform that five hours time allotted for discussion on the Resolution is almost over. As there are six more hon. Members to take part in the discussion, we have to extend the time for further discussion on the Resolution.

If the House agrees, the time for the discussion of the Resolution may be extended by two hours. I think, everybody is agrees. We are extending two hours for this discussion. There are six more hon. Members to speak. आप यह समझिए कि हम रिज़ॉल्यूशन के डिसकसन का टाइम बढ़ा रहे हैं, हाउस का टाइम नहीं बढ़ा रहे हैं।

श्री निशिकान्त दुबे : सर, डिसकसन के लिए एक घण्टे का समय और बढ़ा दीजिए।

SEVERAL HON. MEMBERS: Agree, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Okay, the time is extended by two hours.

Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, अब तक निशिकांत दुबे जी का भाषण हम सब सुन रहे थे। कभी-कभी लगता था कि हिन्दुस्तान का कोई अन्य दूसरा मुद्दा निशिकांत दुबे जी हमारे लिए नहीं छोड़ेंगे। कहां हम लोग पेंशन के लिए रिज़ॉल्यूशन पर चर्चा करने के लिए आए हैं। निशिकांत दुबे जी ने मनरेगा से लेकर कालाधन और हिन्दुस्तान में जितने भी अन्य मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को इसमें जोड़ दिया।

मैं सिर्फ रिज़ॉल्यूशन के मद्देनजर एक ही बात करना चाहता हूं कि यह रिज़ॉल्यूशन जिसका नाम 'Welfare of employees provident fund pensioners', सरकार से मैं यह गुजारिश करूंगा।

<u>17.00 hours</u>

इस सदन में हर दिन हमें जिस तरीके के सुनहरे सपने दिखाये जा रहे हैं, उसे सामने रखकर मैं यह कहूंगा - 'सूरज की रोशनी हो, चांद की चांदनी हो, हमारे दोस्त श्री प्रेमचंद्रन जी जो बिल लाये हैं, इस बिल को मंजूरी हो।'

अगर इस बिल को मंजूरी मिल जायेगी तो हिंदुस्तान में करोड़ों लोग अपनी सुनहरी जिंदगी जी पायेंगे।

<u>17.01 hours</u> (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

Sir, the salient features of this Resolution are (1) restore the benefits of commutation and return of capital to the Employees Provident Fund Pensioners; (2) provide pension to the beneficiaries of Employees Provident Fund pension on the basis of average salary of 12 months immediately preceding retirement; (3) ensure payment of full pension to pensioners as per Employees' Pension Scheme 1995 after realization of full amount of commuted pension from pensioners; (4) increase minimum pension to Rs. 3000 per month under the Employees' Pension Scheme, 1995; (5) implement welfare schemes for pensioners including housing scheme by utilizing the unclaimed provident fund amounting to about Rs. 27,000 crore; (6) revise the whole Employees' Pension Scheme, 1995 on the basis of past experience and (7) extend Employees' Pension Scheme, 1995 to various other sectors.

Sir, all the features included in this Resolution are very much related to the interest of those people especially who are supposed to retire from their occupation and from their job at some point of time.

Sir, past may be a cancelled cheque but if we want to make our future as a promissory note, then we have to spend the fund and the resources at

our disposal wisely. If we are able to spend the present wisely, then it could be translated into the welfare, into the betterment and into the well-being of our future generations.

Sir, it is a filial duty of all of us to take some responsibility upon our elder generations. It is absolutely true, and Dr. Harsha Vardhan Ji is also here, that the lifespan has been increasing because of medical facilities, because of our health consciousness and because of various medical infrastructure that we have had at our disposal now. We have been able to elongate the span of our life.

When we attained Independence, the span of our life was only 32 years. But now we are going to catch 70 years. So, in this House, from morning to evening, we have been pestered upon by the criticism made by the Treasury Benches that the Congress Party has done nothing. If the Congress Party, since Independence, has done nothing, then how has the span of our life been increased in such an exponential way? That needs to be answered.

When we attained Independence, we emerged from a devastated state of affairs. At that time our economy was recognised as a ship to mouth economy. At that time, the total food grains produced in India was to the tune of 52 million tonnes. Now it has been increased by 263 million tonnes. But to enhance or to increase our food grains, we had to undertake various measures, namely from Green Revolution to White Revolution to Blue Revolution, etc.

The Employees' Pension Scheme, 1995, came into effect from 16th November, 1995 replacing the erstwhile Employees' Family Pension Scheme, 1971 which, *inter alia,* provides superannuation, retirement and family pension. That means, the former incumbents of this Government had not only considered but also they had formulated the policy given the future dynamics of our life. Accordingly, they formulated these kinds of policies. But yes, at that time the resources were not available as it is today.

Therefore, we had to adopt a long odyssey since the day of Independence. On the day of Independence we got the freedom. That was the political emancipation but we had to follow the path for economic emancipation and that was followed. We had been following it and we had been pursuing it till now.

Nobody can say that yes, we had achieved all our desired results. No, because it is a continuous process and we have to accept this continuous process premised on the available resources of our country.

I would like to quote a few words:

> "Before you speak, listen; before you write, think; before you spend, earn; before you invest, investigate; before you criticize, wait; before you pray, forgive; before you quit, try; before you retire, save; before you die, give."

Sir, I have quoted that before you retire, save. If we are not able to save something for our future, then we will land our future in jeopardy. To this end, in keeping with that view, savings scheme, provident fund scheme and pension scheme were conceptualized and conceived.

Sir, cessation of work is not accompanied by cessation of expenses. That is why, the society should not feel that our elder generation is our burden; rather we ought to translate our elder generation into our asset because the elder generation, by dint of experiences, by dint of knowledge, can radiate the society around them. So, I think, we should consider our elder generation as our asset. निशिकान्त जी बोल रहे थे कि हमारा जॉइंट फैमिली का कान्सेप्ट खत्म हो चुका है। यह सही बात है। आज हम न्यूक्लियर फैमिली में आ गये हैं। हम सब अपने-अपने धन्धे के लिए दौड़ते रहते हैं। अपने-अपने धन्धे के लिए दौड़ते-दौड़ते घर में दूसरा कोई है या नहीं, हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं, हेम अपने बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में हेम ध्यान देने का समय नहीं मिलता है। इसेक चलते समाज में एक विÂामता पैदा होती है।

Sir, the population of elderly would increase by whopping 270 per cent by 2050. It is true that the Provident Fund Scheme has remained popular among the workers of the formal sector. The 67th NSSO survey states that 72 per cent of the workforce in the informal sector is not eligible for any social security scheme. I am personally concerned for workers in the unorganized sector because, as we know, only seven per cent of our workforce are engaged in the organized sector and the rest 93 per cent remain in the unorganized sector. The workers, who belong to the unorganized sector, do not have any viable social security scheme. That is why, the focus should be on the workers of unorganized sector, that is, the informal sector.

Therefore, I would urge upon the Government that the need of the hour is to relook and revisit the social security scheme so as to extend it to 93 per cent of the workforce which is not confined to the organized sector.

The Universal Declaration of Human Rights, 1948 propounds that the right to social security of every human being is to be acknowledged. Social security of every human being is recognised by Article 22 of the Universal Declaration of Human Rights, 1948.

The constitutional history of social security in India reminds us about the contribution of Shri. B. N. Rau, Constitutional Advisor to the Constituent Assembly. The draft Constitution prepared by him included the right to work; right to education; right to maintain in old age and during sickness or loss of capacity to work; and right to rest and leisure under the head Fundamental Principles of State Policy, which later got converted into Directive Principles of State Policy. Though the enforceability is lost in the conversion, the scheme of social protection stood out in Articles 41, 42 and 43, and in Item Nos. 23 and 24 of the Concurrent List in the Constitution.

It is on this strong fundamental floor that the social security measures such as insurance, provident fund, old-age pensions, workmen compensation, etc. have been provided through various statutory measures. India is a welfare state and that is why the welfare state accepts the fact that social justice is the *sine qua non* and it is imperative for social and economic development of a nation. Lack of social protection invites risks of poverty and economic insecurity.

The Constitution-makers had understood the importance of social security in fostering social and economic development for long-term advantages such as access to health care, other social services and increasing human capabilities for better utilization in employment opportunities. This ensures productive relationships, decent work and inclusive growth as welfare state promotes.

The Social Security Minimum Standards Convention 1952 of ILO states that costs of benefits shall be borne out of collective contributions or

taxes avoiding hardship to poor workers or classes of persons protected - Article (71.1). It is against this principle that the State is planning to impose tax on the post-retire savings of the workers, which would go against the social justice scheme in the Constitution.

It is well recognized by the Constitution and statutes that social protection is a basic human right for a decent living, and it enhances social development by reducing poverty exclusion and inequality, and promotes economic development of balancing income security and increasing human productivity. Therefore, the security, which we are talking about, namely, the social security, is acknowledged by ILO; Universal Declaration of UN and our Constitution. So, there should not be any dispute for delivering the social security measures adequately to the concerned population of our country.

सर, हर दिन बाज़ार में चीज़ों के भाव बढ़ते हैं। यह सरकार कह रही है कि हमने एक हजार रुपये दे दिए हैं। एक हजार रुपये में एक आदमी को दो वक्त की रोटी खाना आसान नहीं होता है।...(व्यवधान) इसलिए मैं इस सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि ठीक से सोच और ठोस कदम उठाए ।...(व्यवधान) हम लोगों ने दिया है, यह बात आप लोग बोलते हैं। आप लोगों के दिमाग में प्रॉविडेंट फंड की बात आई है, अगर हम लोग नहीं देते, आप लोगों के इंश्योरेंस नहीं समझते, प्रॉविडेंट फंड नहीं समझते, सोशल सिक्योरिटी नहीं समझते...(व्यवधान) हम लोगों ने जो सोचा था, उसी को उधार लेकर,...(व्यवधान) श्री निशिकान्त दुबे जी यहां पर बहुत सारे भाषण दिए हैं। इन्होंने डिमोनेटाइजेशन, टैक्स वैगरह-वैगरह के बारे में अभी कहा है। हम लोग अभी भी कहते हैं और आप कान खोल कर सुन लीजिए। यह आप लोगों की सोच है कि हमने यूपी को जीत लिया है। इसका मतलब है कि आपको डिमोनेटाइजेशन के लिए इन फेवर रिफ्रेंडम मिल चुका है, यह बात नहीं है; क्योंकि यूपी में 60 फीसदी लोग आपके खिलाफ वोट दिए हैं...(व्यवधान) यूपी में आपके खिलाफ 60 फीसदी लोग वोट डाले हैं।...(व्यवधान) मान लीजिए,...(व्यवधान) सुनिए, अगर आप यूपी के चुनाव को इस तरीके से सोच रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन के लिए एक रेफ्रेंडम है, हम लोग यूपी में चुनाव जीत चुके हैं, इसका मतलब यह हुआ कि डिमोनेटाइजेशन सही है। आपकी यह सोच गलत है, क्योंकि 60 फीसदी लोग आपके खिलाफ वोट डाले हैं...(व्यवधान)

सर, इस सदन में एक प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने उत्तर दिया था "The Pension Fund Regulatory and Development Authority is administering and regulating the following Social Security Scheme to the pension sector, namely, Swavalamban. ...(व्यवधान) श्री निशिकान्त दुबे जी आपके जमाने में शायद स्वावलंबन नहीं बना था...(व्यवधान) यह कांग्रेस के जमाने में यूपीए की सरकार ने तय किया था और हम लोग इसी सदन में अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर सोशल सिक्योरिटी एक्ट भी लाए थे। मैं आप लोगों को थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने ही अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर लेबर सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाए थे, इसको श्री निशिकान्त दुबे जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यह स्वावलंबन स्कीम किसने लाया है, इसको भी श्री दुबे जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज वह नहीं कहेंगे...(व्यवधान) अटल पेंशन योजना जरूर लाए हैं। आप लोग जो सही काम कर रहे हैं, मैं उसका सराहना जरूर करूंगा, लेकिन यह नहीं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। ढाई साल में आपने सारे हिन्दुस्तान को बदल दिया है, आप यह सोच हटा दीजिए। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारा नसीब अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। यह बात सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हिन्दुस्तान के आम लोगों का नसीब सुधर गया है।...(व्यवधान) जिंदगी में कभी-कभी ऐसा होता है, हम लोग इससे नहीं डरते हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, Swavalamban is a contributory pension scheme and the pension amount is payable depending upon the amount of pension corpus and type of annuity opted. Atal Pension Yojana is a guaranteed scheme by the Government of India. The subscribers under this Scheme are the majority in the phase of accumulation and yet to reach the stage of 60 years so as to draw pension. As on date, there are subscribers in this Scheme and no one is drawing pension in this Scheme.

Our esteemed colleague, Shri N.K. Premachandran, is pondering over this issue for long and each of us should appreciate him. If this Government is magnanimous enough and accepts the proposal of Shri Premachandran, which he has brought in the form of a Resolution, the common people of our country will see a new morning and new bright day in their lives. The Government is pleading day in, day out, "*Sabka Saath, Sabka Vikas*". If this "*Sabka Saath, Sabka Vikas*" is the tenet of this Government, then, without any hesitation or without any reservation, they should pass the Resolution today itself, if they have that kind of courage, integrity, guts and gumption.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to this particular point. During your intervention, you have referred to the EPFO. The Standing Committee says that the total active membership of EPFO was 3.8 crores which almost remained the same during the last four years. The Central Provident Fund Commissioner has submitted that in the year 2010, the number of active members was 2.81 crore which had increased to 3.8 crore as on 31.3.2015. As per the statistics of the Labour Bureau, about 12 million people join the jobseekers' queue every year. The Ministry, in their deposition before the Committee, also admitted that around one crore people get added to the employable workforce every year. In the given circumstances, if 50,000 people get jobs each year, then there would have been a corresponding increase in the number of active membership. The Committee feels that there is approximately the same number of workers, that is, around three crore workers who are entitled but are yet to be covered by the EPFO. The Committee recommended that EPFO, ESIC and CLC (C) office may coordinate and reconcile their figures so that at least the number of workers registered with each organization may be covered under EPFO/ ESIC, wherever applicable.

This is for your kind attention. In spite of all the big promises, it is distinctly clear that the growth of labour and the inclusion of labour into your inclusive mechanism has not seen the light of day. The Committee also finds that ESIC is extending coverage on an experimental basis to some of the unorganized sector workers, building workers, auto-rickshaw drivers, domestic workers, anganwadi and workers involved in Mid-Day Meal Scheme on a contribution of Rs. 250 per month in which four family members would be covered. The benefits would be the same as are made available to the IPs.

Sir, I am hailing from a District, Murshidabad, which is recognized as having the largest number of beedi workers in our country. Those beedi workers are the victims of exploitation, and the exploitation has been perpetrated by the manufacturers. They do not have the basic necessities of life. They are working for 18 to 20 hours a day. The Government is collecting cess and provident fund from the industry, but I am sure that those funds are not being spent on the welfare of those poor beedi workers. So, I would request the hon. Minister to take note of it and do the needful.

Here also, in this Resolution, my friend Shri Premachandranji has proposed that the unclaimed funds should be restored. It has been stated here about the amount of the unclaimed fund. There are nearly Rs.42,000 crore lying in inoperative account. But, the EPF Board Trustee said that Rs.27,000 crore could be transferred to the Senior Citizens' Welfare Fund. ...(*Interruptions*) The trade union leaders told the Minister that the notification was not legally tenable and would not stand long in the Supreme Court. They said that it was inappropriate for the Government to take away unclaimed fund for funding their welfare schemes. Here, there is a dispute. It is true that the unclaimed fund of Rs.42,000 crore or Rs.27,000 are lying idle. In the Resolution, the proposal is that the unclaimed fund could be transferred into the Senior Citizens' Welfare Fund. It is a noble suggestion. It is because if that huge amount is lying idle, it becomes unproductive. To make it productive, the Government should ponder over it. But the opposition of this concept says that if anyone ever claims the fund that has been deposited by their predecessors, then what shall be the

fate of that fund. I would request the Minister to come forward and enlighten us as to what the opinion of this Government is.

In so far as Senior Citizens' Welfare Fund is concerned, there is no denying the fact that it is a laudable step. Another proposal of this Resolution is that instead of sixty months, the calculation of pension will take into account the preceding 12 months of the salaries before passing this Resolution. Day by day, in view of inflation, in view of the cost of living, I think, this proposal that has been made in this Resolution, is an appropriate one. The Government should think of it. The Government should come forward pre-eminently and proactively to make it a reality. I would also draw the attention of the Minister that a major component of the Budget allocation this year Rs.4771 crore has been provisioned for Employees' Pension Scheme.

However, the Secretary of Ministry of Labour and Employment in her deposition before the Committee stated that the allocation is insufficient as there is arrears of about Rs.6,942 crore payable to EPFO from the Government side. The Committee apprehend that the calculation made for EPS arrears requires a relook since they feel that the calculation must have been done for all the EPF subscribers irrespective of operational and dead accounts. Besides, there is every possibility of cases where no claims would be filed by a few subscribers. Therefore, they desire that the details of calculation be redone in a realistic fashion and subsequently be furnished to the Committee before a recommendation to the Government for release of funds, therefore, could accordingly be considered by this Government.

As regards ESIC, I draw the attention of the Minister, the Committee note their achievements in the year 2016-17 which include revision of wage ceiling from Rs.15,000 per month to Rs.21,000 per month with effect from 1-1-2017 and enhancement in per IP medical expenditure ceiling from Rs.2,150 to Rs.3,000 per annum with effect from 1-4-2017. The Committee strongly recommend that the Ministry and ESIC should adopt a time-bound programme to ensure coverage of all legally entitled yet uncovered workers under ESIC scheme. The Committee have also noted that a new infrastructure in terms of hospitals, dispensaries is being planned to be rolled out in financial year 2017-18.

Sir, I would like to ask the hon. Minister, Dattatreya-ji whether the Government is going to invest the Provident Fund money in stock market or in any other such investment arena. If so, let him please give us the details. There is a concern that the Government has been going on investing the Provident Fund in the share market or any other instrument which may ultimately affect the Provident Fund situation. That is why the Government should come clear with its opinion.

Sir, I again appreciate, not just appreciate but appreciate lavishly my esteemed colleague Premachandran-ji who has taken pain to bring this Resolution for the welfare of the common people of our country. I would urge upon this Government including all the Members of this House that we should make an example by supporting, by approving each and every provision of this Resolution without any hesitation.

Sir, with these words, I conclude my speech. Thank you.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा 11 दिसम्बर, 2015 को पेश किए गए संकल्प कर्मचारियों के भविÂष्य निधि से पेंशन भोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने के संबंध में अपने विचार और संकल्प प्रस्तुत किए हैं। मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने मुख्य रूप से दो बातें रखी हैं। उनका कहना है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम , 1995 के अधीन न्यूनतम पेंशन स्कीम को बढ़ाकर 3000 रुपेय करना और 27,000 करोड़ रुपेय की अदावाकृत की भविÂष्य निधि की राशि का उपयोग करेके पेंशनभोगियों के लिए आवास योजना सहित अन्य लाभार्थ की योजनाएं बनाना, ऐसा उनका विचार है। वास्तव में यह विचार बहुत अच्छा है। किसी व्यक्ति के लिए उसेक जीवन में आर्थिक सुरक्षा का बड़ा महत्व होता है।

हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां शुरुआत से संयुक्त परिवार की मान्यता रही है। संयुक्त परिवार में रहेते हुए आर्थिक असुरक्षा की भावना नहीं आती थी, लेकिन धीरे-धीरे बदलाव हुआ और आज जो परिस्थितियां हैं, उनमें किसी भी व्यक्ति के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षा प्राप्त करना बड़ा मुश्किल बन गया है।

महोदय, आजादी के समय से योजनाबद्ध तरीके से विकास नहीं हो रहा था। जब देश आजाद हुआ, उस समय हमारे संगठन ने एक राजनैतिक दल के रूप में पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। भारतीय जनसंघ की स्पÂष्ट अवधारणा थी, जो पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद पर आधारित थी कि इस देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को जब तक शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, जेब में पैसा, सम्मान और सम्पत्ति की सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हमारा और हमारी सरकारों का काम समाप्त नहीं होगा। निश्चित रूप से ये बातें हुई हैं। माननीय सदस्य ने जो बिल प्रस्तुत किया है, इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मानने योग्य है। कई बातें ऐसी हैं जिन पर हमारी सरकार पहले से ही काम कर रही है।

महोदय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की अवधारणा दी, जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। चाहे माननीय अटल जी की सरकार रही हो या अभी माननीय नेरेन्द्र मोदी जी सरकार हो, ऐसे लोग जो पिछड़ गए हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, ऐसे वर्गों को कैसे समाज की मुख्यधारा में लाएं, सरकार को इसकी चिंता है। यह सामाजिक सिद्धांत है कि जो लोग सामाजिक, शारीरिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं, वे विकास के प्रवाह में अपेने हिस्से का विकास प्राप्त नहीं कर पोते हैं, इस कारण वे पिछड़ेते हुए चेले जोते हैं। यह इस देश में ऐसा ही हुआ है। इस देश में 40 प्रतिशत से अधिक आबादी ऐसे लोगों की है, जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछेड़ हुए हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां लोग जंगलों में रहेते हैं। जहां से स्कूल और अस्पताल की दूरी 25 से 30 किलोमीटर है। ऐसी स्थिति में देश में सब लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, नहीं मिती हैं। उनेक हिस्से का विकास का लाभ उन लोगों ने उठाया, जो मजबूत थे, ताकतवर थे।

महोदय, अभी अधीर रंजन जी विमुद्रीकरण की बात कह रेहे थे। पूरे देश में विमुद्रीकरण की चर्चा चाहे हमारी पार्टी ने की हो या विरोधी पार्टी ने अपेने तरीके से की हो, लगातार 8 नवंबर के बाद से चर्चा चल रही है। इसेक पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोच शुरु से स्पÂष्ट थी। हमारी सोच थी कि हम इस देश के सभी लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाएं। पहला कार्यक्रम जन-धन योजना के माध्यम से हुआ। जन-धन योजना के माध्यम वे लोग, जो विकास के प्रवाह में पीछे छूट गए थे, उनको समाज की मुख्यधारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय नेरेन्द्र मोदी जी ने किया। लोगों को सिस्टम में लाने के लिए जन-धन योजना के माध्यम से बैंक एकाउंट खुलवाने शुरु किए, जिसकी संख्या 21 करोड़ तक पुंहवी यानी 21 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते खुले। इससे यह बात स्पÂष्ट हो गई कि जो बहुत बड़ा तबका इस देश में काफी पीछे छूट गया था, उसे मुख्यधारा में लाने का काम किया।

महोदय, कैश जीडीपी के तीन गुना से अधिक हो गया था। जब तीन गुना से अधिक कैश होता है तो इसका मतलब होता है कि अतिरिक्त कैश बाजार में है। जब बाजार में अधिक रुपया होता है, तो उसका दुÂप्रभाव होता है कि कालाधन बढ़ता है और गलत तरीके से उस धन का प्रयोग होने के कारण देश को जो टैक्स प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। विमुद्रीकरण का फायदा यह हुआ कि सारा पैसा, जो अतिरिक्त था, वह आ गया और अब जितनी आवश्यकता बाजार में है, उसे पैसे को भारत सरकार ला रही है। ऐसे लोग जो इस सिस्टम से बाहर निकल गए थे, जो बैंक के माध्यम से अपना कामकाज न करेके, लिखा-पढ़ी न करेके, लेजर के माध्यम से कामकाज न करेके कवल कैश का लेन देन कर रेहे थे, उनेके ऊपर एक पाबंदी लगी, इस कारण वे लोग भी सिस्टम में आ गए। जो लोग ऊपर निकल गेय, उन्हें नीचे लाने और जो नीचे थे, उन्हें ऊपर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, जो देश को आने वाले समय में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का बहुत बड़ा कारण बेनेगा।

अभी हमारे बहुत सारे साथी यहां पर बात कर रेहे थे। मैं बहुत लंबी राजनीतिक बात नही करूंगा और न ही मैं किसी राजनीतिक दल की आलोचना कर रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से यदि इस देश का इतिहास लिखा जायेगा, तो वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक का समय बहुत खराब रहा है। उस दस साल में देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यहां की सीमाएं असुरक्षित हुई, हमारी अर्थव्यवस्था खराब हुई, महंगाई और भ्रÂष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पुहंवा और उसेक कारण पूरी दुनिया में भारत का सम्मान घटा। इसका परिणाम यह हुआ कि इस देश के लोग हताश और निराश

हो गेय।

जब वर्ष 2014 का ुचनाव आया तो लोगों ेन भारतीय जनता पार्टी ेक पक्ष ेम बुहत उम्मीदों ेस मतदान किया। उन्हें यह उम्मीद थी कि अगर इस राजनीतिक दल की सरकार ेदश ेम आयेगी, तो निश्चित रूप ेस बुहत सोर परिवर्तन होंग। ेम यह कह सकता हूं कि हमोर प्रधान मंत्री आदरणीय नेरन्द्र मोदी जी ेक ेनतृत्व ेम हमारी सरकार ेन इन तीन सालों ेम बुहत सोर ऐसे काम किये ेह, जिसेस इस ेदश ेक लोगों का विश्वास और भरोसा न ेकवल लोकतांत्रिक पद्धति की तरफ बढ़ा ेह, बल्कि ेनताओं और राजनीतिक दलों पर भी विश्वास कायम ुहआ ेह। इसी का परिणाम ेह कि आज लोग सरकार की तरफ बुहत उम्मीदों ेक साथ ेदख रेह ेह।

जब हमारी सरकार बनी, तब उसेन तय किया कि ऐसे गरीब और पिछेड़ वर्ग ेक लोग, जो 67 साल की आजादी ेक बाद भी अभी तक ुमख्य धारा ेम नहीं आ पोय ेह, उन्हें हमारी सरकार ेन पहेल नम्बर पर लिया। हमारी पहली प्राथमिकता वह ुहई। हम गरीब लोगों को ेकसे आर्थिक ुसरक्षा उपलब्ध करेंय, इसेक लिए उन्होंन काम करना ुशरू किया। यह उस समय संभव था। हमेन जन-धन खातों ेक माध्यम ेस उनका एक्सीडेंटल बीमा करेन का काम किया। हम प्रधान मंत्री ुसरक्षा बीमा योजना ेलकर आये, जो ेकवल 12 रुपेय ेम थी। यह एक सोकतिक बीमा था, ेलकिन इसेस वह गरीब आदमी, जिसेक घर ेम इस तरह की घटना हो जोय, यानी मृत्यु हो जोय तो उसे दो लाख रुपेय का बीमा मिल। यह उसेक परिवार ेक लिए बुहत बड़ी ुसविधा और मदद होती। हमारी सरकार ेन इसे ुशरूआती दौर, यानी तीन महीनें ेम ही इसे लाग ूकिया। इसी तरह सरकार प्रधान मंत्री बीमा योजना लायी, जिसेंम 330 रुपेय एक महीनें ेम जमा करेन पड़ेत ेह। वहीं पर अटल ेपशन योजना ेक माध्यम ेस असंगठित क्षेत्र ेक लोगों, जिनेक पास बीमा की कोई ुसविधा नहीं थी, उन्हें यह ुसविधा दी गयी। अब किसी व्यक्ति की 60 साल की उम्र हो जाती ेह, निश्चित रूप ेस यह मृत्यु लोक ेह और मृत्यु लोक ेम जो आता ेह, वह जाता ेह। उस समय उसका शरीर भी कमजोर होता ेह और जब शरीर कमजोर होेन लगता ेह तो काम करेन की इच्छा नहीं होती। ेलकिन काम भेल ही बंद हो जोय, ेलकिन जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक उसकी आवश्यकताएं होती ेह और उन आवश्यकताओं को पूरा करेन ेक लिए धन की भी जरूरत होती ेह। ऐसे समय ेम आदमी को छोटी ेस छोटी रकम भी बुहत बड़ी लगती ेह। हमोर प्रधान मंत्री जी ेन असंगठित क्षेत्रों ेम ऐसे लोगों, जो कोई काम काज नहीं करेत, स्वतंत्र रूप ेस रहेत ेह, उनेक लिए भी उन्होंन अटल ेपशन योजना चलायी। आज उसेंम काफी लोगों ेन इनरोलेंमट कराया ेह। इसेस उन्हें एक हजार रुपेय ेस पांच हजार रुपेय प्रति माह तक ेपशन मिलेन की उम्मीद बन गयी ेह। हमारी सरकार निरंतर ऐसे काम कर रही ेह। हम आज ेदखेत ेह कि 500 रुपेय की ेपशन ेक लिए ब्लाक, तहसील ेम जोत ेह। ेव वहां दलालों की चुगल ेम आ जोत ेह और घूस ेदेत ेह, उलटी-सीधी घोषणाएं करेत ेह। ऐसे समय ेम आदरणीय एन.ेक. ेप्रमचंदन जी ेन 3 हजार रुपेय न्यूनतम बीमा ेदेन की बात कही ेह, उसेंम भी हमारी सरकार ेन चिंतन किया और ेकन्द्रीय मंत्रिमंडल की ेबठक जो 29.4.2015 को ुहई, उसेंम उन्होंन अध्याधीन कर्मचारी ेपशन योजना, 1995 ेक अंतर्गत प्रति माह एक हजार रुपेय की न्यूनतम ेपशन को जारी रखेन का अनुमोदन कर दिया।

स्पÂट रूप ेस यह हमारी सरकार की अवधारणा को दिखाता ेह कि हमारी सरकार चिन्तित ेह कि सभी लोग आर्थिक रूप ेस ुसरक्षित हों, उनेक लिए काम करेन का निरंतर प्रयास हमारी सरकार कर रही ेह। एक बड़ा ुमद्दा यह ेह कि इस समय असंगठित क्षेत्र ेक लोगों ेक साथ ही, संगठित क्षेत्र ेम भी अपनी ही भविÂय निधि ेस ेपसा निकालेन ेक लिए लोगों को घूस ेदनी पड़ती थी, लोगों को दफ्तरों ेक चक्कर लगोन पड़ेत ेथ और समय पर उनको ेपशन नहीं मिलती थी। अभी ेम ेसट्रल हॉल ेस जा रहा था तो ेमरी ुकछ कर्मचारियों ेस बात ुहई थी। उनेक संज्ञान ेम था कि आज ऐसा एक बिल आने वाला ेह, ेव आपस ेम ही चर्चा कर रेह ेथ। वहां पर एक महिला कर्मचारी थी, उनकी माताजी को ेपशन मिलती थी। पहेल उनेक पिताजी को ेपशन मिलती थी। उनेक पिताजी की मृत्यु हो गयी, लगभग दो वर्ष का समय हो गया, ेलकिन उनकी ेपशन फिर ेस ुशरू नहीं हो पाई। रलेव एक बुहत बड़ा विभाग ेह, वहां पर भी ेपशन ेस संबंधित बुहत सी शिकायेत आ रही ेह। ेम माननीय मंत्री जी ेस चाहूंगा कि इन चीजों को अगर दूर केंरग तो आने वाले समय ेम जो लोग अपेन को आर्थिक रूप ेस असुरक्षित महसूस करेत ेह, उनका भरोसा निरंतर भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ बढ़ रहा ेह, वह और बेढ़गा।

हमारी सरकार ेन ेपशन योजना ेक संबंध ेम बुहत ेस उपाय भी किए ेह। मंत्री जी जवाब ेदेत समय बुहत सी जानकारियां ेदंग, ेलकिन ेम एक जानकारी ेदना चाहूंगा कि एक विशेÂष एकीकरण अभियान - एक कर्मचारी, एक ईपीएफ खाता, हमारी सरकार ेन प्रारम्भ किया ेह। इसेक बाद अगर कोई कर्मचारी कई जगहों पर काम करता ेह, उसे बार-बार यह सूचना नहीं ेदनी होगी कि ुमझे ेमर इस एकाउण्ट ेस ेपसे चाहिए। ेव सारी व्यवस्थाएं होेन ेक बाद जब उसे एक नम्बर एलॉट हो जाएगा, वह नम्बर उसेक खोत ेस ुजड़ जाएगा तो उसको सभी जगहों का रिकॉर्ड नहीं रखना पेड़गा। अभी उन्हें अपेन ईपीएफ खोत की नवीनतम जानकारी ेक लिए दफ्तरों ेक चक्कर लगोन पड़ेत ेह, ेलकिन अब उन्हें अपनी ई-पासबुक या ेमसेज ेक द्वारा जानकारी मिल जाएगी। इसेक साथ ही, कर्मचारियों ेक हितों ेक खिलाफ जो बातें होती थीं, हमारी सरकार उनको रोकेन की व्यवस्था हमारी सरकार ेन की ेह। ेम किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, ेलकिन निश्चित रूप ेस पिछेल 70 साल ेम जो सरकोर रहीं, अगर उन्होंन ठीक ढंग ेस काम किया होता तो आज ेदश की स्थिति ऐसी नहीं होती। 70 साल की आजादी ेक बाद भी लोग आज शिक्षा ेक लिए संघÂान कर रेह ेह, सड़क ेक लिए संघÂष कर रेह ेह। ेम कई जगहों पर ेम ेदखता हूं कि अगर गांव का बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया ेह तो उसे फिर ेस लगोन ेक लिए लोगों को सड़क जाम करनी पड़ती ेह। ेम उत्तर प्रेदश की बात कर रहा हूं, वहां अभी हमारी सरकार बनेन ेस परिस्थितियां बदल गयी ेह। थोेड़ समय पहेल वहां अगर किसी की हत्या हो जाती थी तो लाश को जब ेव सड़क पर रखेत ेथ, तब उसकी एफआईआर दर्ज की जाती थी। अगर 70 साल की आजादी ेक बाद ेदश ेम ऐसा हो रहा ेह तो निश्चित रूप ेस जिन लोगों ेन बेड़ समय तक इस ेदश पर शासन किया ेह, ेव निश्चित रूप ेस दोÂषी ेह, उनको अपनी समालोचना करनी चाहिए। अपेन कार्यों पर चिन्तन करेक, हमारी सरकार इस समय जो सकारात्मक काम कर रही ेह, उसेक समर्थन ेम खेड़ होना चाहिए और सहयोग भी करना चाहिए।

जहां तक पीएफ एवं ेपशन की बात ेह, आदरणीय ेप्रमचन्द्रन जी ेन जो बातें रखी ेह, उनेंम ेस एक बड़ी चीज भारत सरकार करेन जा रही ेह। उन्होंन 27,000 करोड़ रुपेय की बात की थी, आवास ेक लिए उस धनराशि का उपयोग किया जाए। हमारी सरकार ेन यह प्रावधान कर दिया ेह कि आप अपेन पीएफ को गिरवी रखकर, सस्ते मकान की ुसविधा ेल सकेत ेह और पीएफ ेक द्वारा मकान ऋण की किस्त ेदेन का भी काम कर सकेत ेह। यह एक बड़ी मदद कर्मचारियों ेक लिए होगी। साथ ही, सरकार ेन अगस्त, 2015 ेम ईटीएफ ेम निवेश का सिस्टम ुशरू किया था। जून, 2016 तक 7468 करोड़ रुपेय का निवेश इस फण्ड ेस किया गया था, जिसेंम 30 जून, 2016 तक 7.45 प्रतिशत की वृद्धि ुहई थी। निश्चित रूप ेस ये ऐसी ुकछ चीजें ेह, जिनकी मदद ेस इस सरकार ेन ऐसे प्रयास किए ेह कि कर्मचारियों की भविÂष्य निधि ेस जो ेपसा काटा जाता ेह, वह ेपसा ुसरक्षित रेह, वह ेपसे बढ़ता रेह और उसेक साथ-साथ जब उनको, भविÂष्य की किसी योजना ेक लिए या मकान बनोन ेक लिए या बीमारी ेक लिए या किसी अन्य काम ेक लिए जरूरत हो तो ेव उस धन का उपयोग कर सकेत ेह।

निश्चित रूप ेस हमारी सरकार बुहत अच्ेछ तरीक ेस लोगों को आर्थिक ुसरक्षा उपलब्ध करोन का प्रयास कर रही ेह और इसेक अच्ेछ परिणाम आएेंग। माननीय मंत्री जी यहां पर उपस्थित ेह, ेप्रमचन्द्रन जी भी ेह। ेम ेप्रमचन्द्रन जी को अपनी सरकार की तरफ ेस यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी तो चिन्ताएं वाजिब ेह, ेलकिन उन चिंताओं को आपेन यहां पर उठाया, यह आपका हक और अधिकार था। ेलकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहेल ेस ही इस पर चिंतन कर रही ेह। ेजसा ेमेन ुशरू ेम कहा, यह चिंतन हमारी सराकर ेन आज प्रारम्भ नहीं किया, यह 1951 ेम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ेन मानववाद का जो सिद्धान्त दिया था, उसेंम ही आर्थिक ुसरक्षा लोगों को प्राप्त हो, सभी लोगों को शिक्षा मिल, सभी लोगों को चिकित्सा मिल, सबेक पास रोजगार हो, सबकी जेब ेम ेपसा हो, ऐसी अवधारणा ेलकर भाजपा की सरकार काम कर रही ेह। उसेक परिणाम भी दिखाई ेद रेह ेह। हमारी सरकार बनेन ेक बाद जो लोग हताश ेथ, 2014 का समय आपेन ेदखा ेह। आप बुहत ही विद्वान सांसद ेह। आपेन ेदखा ेह कि 2014 ेक समय ेम इस ेदश की ेकसी परिस्थितियां थीं। लोग हताश हो गेय ेथ। लोगों को लगेन लगा था कि यह ेदश बेचगा या नहीं बेचगा। लोगों का विश्वास राजनीतिक दलों ेस उठेन लगा था। उसका परिणाम था कि लोगों ेन भाजपा ेक पक्ष ेम जब मतदान किया, हमारी सरकार ेन पहेल दिन ही यह तय कर लिया था कि इस ेदश की जो कमजोरियां ेह, जो 70 सालों ेस समस्याएं दूर नहीं ुहई ेह, उन समस्याओं को दूर करेन का काम भाजपा की सरकार केरगी। जब हमोर प्रधान मंत्री जी ेन पहला भाषण सांसदों ेक साथ दिया था तो उन्होंन कहा था कि हमको पहला काम यह करना ेह, हमें चिन्हित करना ेह कि हमोर ेदश की क्या क्या कमजोरियां ेह। उन कमजोरियों को दूर करेक इस ेदश को सम्मान की स्थिति ेम ेल जाना ेह। आज ेम कह सकता हूं कि भाजपा की सरकार ेन चिह्नित किया कि इस ेदश ेम महिलाओं को जितना सम्मान मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा ेह। आधी आबादी महिलाएं ेह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ेन महिलाओं ेक सशक्तीकरण ेक लिए बुहत सोर कार्यक्रमों को बनाया। उन कार्यक्रमों को बनोन की स्थिति यह ेह कि इन तीन सालों ेक बाद हमोर ेदश की बहनें, माताएं, महिलाएं सम्मान पूर्वक यह कह सकती ेह कि भाजपा की सरकार ेन तीन सालों ेम उस दृश्य को बदलेन का काम किया ेह और आज हम महिलाओं को सम्मान दिलोन का काम कर रेह ेह। आज चोह उज्ज्वला योजना हो, ुसकन्या समृद्धि योजना हो, ऐसी बुहत सारी योजनाएं ेह, इनेक माध्यम ेस महिलाओं ेक सशक्तीकरण ेक साथ-साथ किसान इस ेदश की मूलभूत आवश्यकता थी, हमेन यह तय किया कि इस ेदश ेम 70 प्रतिशत लोग खेती ेस ेजुड़ ेथ। जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक यह ेदश मजबूत नहीं होगा। यह हमारी अवधारणा थी और उसेक लिए हमारी सरकार ेन पहेल दिन ेस ही काम प्रारम्भ किया।

हम एक लक्ष्य को ेलकर चेल ेह कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को ुदगुना केंरग। हमेन उसेक लिए एक रोडेमप बनाया। रोडेमप बनाकर किसानों को सस्ते दर पर हम ऋण उपलब्ध करोन का काम कर रेह ेह। उनको खाद और बीज समय ेस उपलब्ध हो, खेती समय ेस बोई जाए और उसेक बाद फसल बोेन ेक बाद भी अगर ऐसी परिस्थितियां आती ेह जिसेंम फसल का ुनकसान होता ेह, हमारी सरकार फसल बीमा योजना ेलकर आई ेह। फसल बीमा योजना ेक माध्यम ेस हमेन यह प्रयास किया ेह कि किसान फसल बोेन ेस अगर चूक भी जाता ेह तब भी हम उसको ुमआवजा ेदंग। यदि फसल बो दी जाती ेह, फसल रहेत समय अगर ुकछ ुनकसान होता ेह, तब भी हम उसका ुमआवजा ेदंग। ऐसी परिस्थितियों ेम भी जबकि ऐसी स्थिति हो कि फसल कट जाए और कटेन ेक लिए बाजार ेम जोन ेक लिए ेतयार हो, उसेक बाद भी अगर 14 दिन ेक अंदर कोई ऐसी परिस्थिति बनती ेह कि फसल का ुनकसान होता ेह तो भी हम फसल का ुमआवजा ेदंग। उसेक साथ-साथ

फसल का पूरा दाम मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार ने ई-बाजार की अवधारणा बनाई। राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है।

18.00 hours

ढाई सौ से ज्यादा कृषि मंडियों को हमने ई-बाजार से जोड़ दिया है और 31 मार्च, 2018 तक 598 कृषि मंडियों को हम ई-बाजार से जोड़ देंगे। किसानों की आमदनी दोगुनी हो, उन्हें फसल का पूरा दाम मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से करते रहेंगे।

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Friday, the 24th March, 2017 at 11.00 a.m.

18.01 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Friday, March 24, 2017/Chaitra 3, 1939 (Saka).

---

*

*

*

*

*

*

*

*